

30/8/24 पत्रावली पेश हुआ। वकील वादी उपा।
प्रतिवादी की शामिल हेतु नलवाना समन
पेश करने हेतु इनके अवसर दिए जा चुके
हैं। बावजूद अवसर दिए जाने के उपरान्त
भी शामिल नहीं हो पाए हैं और वादी
की नलवाना नोटिस पेश किए गए
थे। अतः वादी का काद अर्जि 925
जा-सी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर 6 ज नम्बर
ले कम हो आदेश खर्च न्यायालय में
सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लेक